



प्रेषक,

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलपति,
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,
कानपुर ।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 28 फरवरी, 2026

विषय: चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कर्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अर्थ नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के पत्रांक:सीएसयूपी-2083/बजट अनुमान अनुमान2025-26/राजस्व मद, दिनांक 24.01.2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कर्मिकों के वेतन/भत्ते आदि के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान संख्या-11 लेखाशीर्ष-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-04-उ0प्र0 चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) मद में प्राप्त अनुदान के सापेक्ष सम्भावित बचत रु0 347.00 लाख को अनुदान सं0-2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-80-सामान्य-120-अन्य संस्थाओं को सहायता-07-उ0प्र0 कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना-31-सहायता अनुदान सामान्य (वेतन) में संलग्न बी.एम.-9 (पुनर्विनियोग आदेश सं0-आर0ई0-बजट-1-396, दिनांक 28.02.2026) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि रु0 347.00 लाख (रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- 1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग राज्य सरकार द्वारा अनुदानित पदों के सापेक्ष व्यय किया जायेगा यह सुनिश्चित किये जाने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा। इस धनराशि का उपयोग उन्हीं पदों के लिए किया जाय, जिनके वेतन हेतु पद सृजन के आदेश में राज्य सरकार की देयता निर्धारित है।
- 2) पुनर्विनियोग हेतु प्रस्तावित बचत के मदों में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।
- 3) स्वीकृत धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पी.एल.ए. में नहीं रखी जाएगी तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा।
- 4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग वेतन मद में सृजित देयता के सापेक्ष ही किया जायेगा।
- 5) स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
- 6) स्वीकृत धनराशि का व्यय उसी मद पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।
- 7) पुनर्विनियोग की धनराशि के आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 8) वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह विश्वविद्यालय का उत्तरदायित्व होगा।
- 9) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 10) उक्त अनुदान के देयक कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति एवं अर्थ नियंत्रक द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित होंगे एवं देयक पर संबंधित मण्डलायुक्त के प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त संबंधित कोषाधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,47,00,000 (रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 011 लेखा शीर्षक 2415801200700 उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान मानक मद 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक:- बी.एम.-9 ।

भवदीय,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज ।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, 30प्र0, लखनऊ / प्रयागराज।
3. मण्डलायुक्त, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर ।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. सचिव, 30प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ ।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव।

बी एम-9 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158))

A067-20252026-67 1002 002 1 2022

विषय:- चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत संचालित कृषि अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, इटावा के कार्मिकों के वेतन /भत्ते आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में पुनर्विनियोग के माध्यम से राजस्व मद के वेतन मद में वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415801200400 (उ.प्र. कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान)	31 (सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन))	97,59,77,000 रुपये सत्तानबे करोड़ उनसठ लाख सतहत्तर हजार मात्र	3,47,00,000 रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र	-3,47,00,000 रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र	34700000	941277000	2025-2026

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
011	2415801200700 (उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कानपुर को जनपद इटावा में प्रौद्योगिक महाविद्यालय की स्थापना हेतु अनुदान)	31 (सहायता अनुदान- सामान्य(वेतन))	8,53,40,000 रुपये आठ करोड़ तिरेपन लाख चालीस हजार मात्र	3,47,00,000 रुपये तीन करोड़ सैंतालीस लाख मात्र	34700000	120040000	2025-2026

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

नोट (1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :- नियमित वेतन आदि के भुगतान के फलस्वरूप बचत।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :- लम्बित वेतन व एरियर आदि के कारण।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आर ई-बजट-1-396 -2025-26, दिनांक- 28 फरवरी, 2026

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

विनोद कुमार वर्मा,
अनु सचिव

राहुल कुमार,
अनु सचिव

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:21/2026/228(2)/कृशिअ-67-1002(002)/1/2022-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज,
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज,
3. मण्डलायुक्त आयुक्त, कानपुर / कोषाधिकारी, कानपुर,
4. वित्त नियंत्रक, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर,
5. सचिव, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ,
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1 / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (03 प्रतियो में),
7. वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, लखनऊ,
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विनोद कुमार वर्मा,
अनुसचिव।